इस्लामी शिष्टाचार एक दृष्टि में

﴿ جانب من الآداب الإسلامية ﴾

[*हिन्दी* - **Hindi** - هندي]

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2009 - 1430

islamhouse.com

﴿ جانب من الآداب الإسلامية ﴾

« باللغة الهندية »

عطاء الرحمن ضياء الله

2009 - 1430

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

इस्लामी जीवन के आदाब

इस्लामी शरीअत ने कुछ आदाब प्रस्तुत किए हैं जिस पर अमल करने पर उसने मुसलमानों को उभारा है ताकि इस्लामी व्यक्तित्व परिपूर्ण हो सके, उन आदाब में से कुछ निम्नलिखित हैं :

✿ खाने–पीने के आदाब :

1. खाने के आरम्भ में बिस्मिल्लाह कहना और खाना खाने से फारिग होने पर अल्लाह की प्रशंसा करना और सामने से खाना और दायें हाथ से खाना, इस लिये कि बायाँ हाथ अधिकतर गंदगी की सफाई में इस्तेमाल होता है, उमर बिन अबी सलमा कहते है कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लालाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवरिश पाने वाला एक लड़का था और मेरा हाथ पलेट में इधर उधर फिरता था, तो मुझ से रसूल सल्लल्लहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि ऐ बच्चे! अल्लाह का नाम लो (बिस्मिल्लाह पढ़ो) और दाहिने हाथ से खाओ और उस में से खाओ जो तुम्हारे क़रीब हो।)) (सहीह बुखारी 5/2056 हदीस नं. :5061)

2. भोजन किसी भी प्रकार का हो, उस में ऐब न निकाला जाये, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की इस हदीस के कारण कि ((अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भोजन में कभी ऐब नहीं निकाला, यदि चाहत हुई तो खा लिया और पसन्द नहीं आया तो छोड़ दिया।)) (सहीह बुखारी 5/2056 हदीस नं.:5093)

3. आदमी ज़रुरत से अधिक न खाये पिये, अल्लाह के इस कथन के कारण :

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف:٣١]

((खाओ और पियो और फुजूल खर्ची न करो, अल्लाह तआला फुजूल खर्ची करने वालों को पसन्द नहीं करता।)) (सूरतुल आराफ : 31)

और रसूल सल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि : ((आदमी ने पेट से बुरा कोइ बर्तन नहीं भरा, ऐ आदम की औलाद! तुम्हारे लिये चन्द लुक़्मे जिस से तुम्हारी कमर सीधी रह सके, काफी है, यदि अधिक खाना अनिवार्य हो तो एक तिहाई खाने के लिये हो, एक तिहाई पीने के लिये हो और एक तिहाई साँस लेने के लिये हो।)) (सहीह इब्ने हिब्बान 12/41 हदीस नं.: 5236)

4. बर्तन के अन्दर साँस न लेना और उस में फूँक न मारना, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजिय्यल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि ''नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में साँस लेने या फूँक मारने से रोका है।)) (सुनन अबू दाऊद 3/338 हदीस नंः 3728)

5. दुसरे लोगों के लिये खाने पीने को गन्दा न करे, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मशकीजों को खराब करने से रोकते हुये सुना। अब्दुल्लाह ने कहा कि मा'मर या किसी दुसरे ने कहा कि इस का अर्थ मशकीज़े के मुँह से मुँह लगा कर पीना है। (सहीह बुखारी 5/2132 हदीस नंः 5303)

6. अकेला ना खाये, बल्कि किसी के साथ में खाये। एक व्यक्ति ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रशन किया कि हम खाते हैं, लेकिन पेट नहीं भरता है? आप ने पूछा कि एक साथ खाना खाते हो या

अलग–अलग खाते हो? उसने उत्तर दिया कि अलग अलग खाते हैं। आप ने कहा कि एक होकर खाना खाओ और अल्लाह का नाम लो, अल्लाह तुम्हारे भोजन में बरकत देगा।)) (सहीह इब्ने हिब्बान 12/27 हदीस नं.: 5224)

7. जिस किसी व्यक्ति की खाने की दावत ली गई हो और उस के साथ कोई बिना दावत के जा रहा है तो दावत लेने वाले से उस के बारे में अनुमति लेनी चाहिये, एक अंसारी आदमी जिनकी कुन्नियत अबु शुऐब थी पाँच लोगों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ली तो उनके साथ एक और आदमी आ गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यह आदमी हम लोगों के साथ चला आया है, यदि तुम चाहो तो उसको अनुमति दे दो और चाहो तो लोटा दो। तो उन्हों ने कहा कि नहीं, मैं ने उन्हे अनुमति दे दी।)) (सहीह बुखारी 2/732 हदीस नं.: 2975)

✿ अनुमति लेने के आदाब :

इसके दो प्रकार हैं :

➢ घर के बाहर अनुमति लेना, जैसाकि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ [سورة النور:٢٧]

''ऐ ईमान वालो! तुम अपने घरों के सिवाय दूसरे घरों में न दाखिल हो यहाँ तक कि तुम अनुमति ले लो और घर वालों पर सलाम कर लो।'' (सूरतुन्नूर :27)

➢ घर के भीतर अनुमति लेना, अल्लाह तआला के इस कथन के कारण कि :

﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ﴾ [سورة النور:٥٩]

((और जब तुम्हारे बच्चे बुलूगत को पहुँच जायें तो जिस प्रकार उनके अगले लोग अनुमति माँगते हैं उन्हे भी अनुमति माँग कर आना चाहिये।)) (सूरतुन्नूर :59)

यह सारी चीजें घर के रहस्य व भेद और उसकी व्यक्तिगत बातों पर पर्दा डालने और उनकी रक्षा करने के लिये हैं, एक व्यक्ति ने रसूल सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम के घर में एक छेद से झाँका और आप के हाथ में एक कंघी थी जिस से आप अपना सिर खुजला रहे थे, आप ने कहा कि यदि मैं तुम्हें झाँकते हुये जान पाता तो मैं इस से तुम्हारी आँख फोड़ देता, इजाज़त माँगने का आदेश आँख ही के कारण दिया गया है।)) (सहीह बुखारी 5/2304 हदीस नं.:5887)

➢ इजाजत मांगने में हठ न करे, रसूल सल्लल्लहू अलैहि वसल्लम के इस कथन के कारण कि ((इजाज़त तीन बार माँगना है, यदि तुम्हें इजाज़त मिल जाये तो ठीक है, वर्ना फिर लोट जाओ।)) (सहीह मुस्लिम 3/1696 हदीस नं.: 2154)

➢ इजाज़त मांगने वाला व्यक्ति अपना परिचय कराये, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वह कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहु व सल्लम के पास अपने पिता के क़र्ज़ के सम्बन्ध में आया, मैं ने दरवाज़ा खटखटाया, आप ने पूछा कोन?? मैं ने कहा: मैं, आप ने कहा : मैं, मैं। गोया आप ने इस को नापसन्द किया।)) (सहीह बुखारी 5/2304 हदीस नं.:5887)

✿ सलाम के आदाब :

इस्लाम ने लोगों के बीच सलाम के फैलाने पर उभारा है, इसलिये कि इस से प्यार व महब्बत पैदा होती है, रसूल सल्लल्लहु अलैहि व सल्ल्म कहते हैं कि ((उस ज़ात कि क़सम! जिस के हाथ में मेरी जान है तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते यहाँ तक कि ईमान ले आओ और मोमिन नहीं हो सकते यहाँ तक कि आपस में प्यार करने लगो। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न बतला दूँ कि जब तुम उसे करने लगोगे तो आपस में प्यार करने लगोगे, अपने बीच सलाम को आम करो।)) (सुनन अबू आऊद 4/350 हदीस नं.: 5193)

➢जिस ने तुम्हें सलाम किया है उसे सलाम का जवाब देना अनिवार्य है, अल्लाह तआला के इस कथन के कारण कि :

﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [سورة النساء:٨٦]

((और जब तुम्हें सलाम किया जाये तो तुम उस से अच्छा जवाब दो या उन्हीं शब्दों को लोटा दो।)) (सूरतुन्निसा :86)

➢और सलाम के अन्दर हुकूक को भी स्पष्ट कर दिया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : ((सवार, पैदल चलने वाले को सलाम करे, पैदल चलने वाला, बैठने वाले को सलाम करे और थोड़े लोग अधिक लोगों को सलाम करें।)) (सहीह बुखारी 5/2301 हदीस नं.: 5878)

✿ सभा के आदाब :

➢मज्लिस वालों पर आते समय और निकलते समय सलाम कहना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ((जब तुम में से कोई किसी बैठक में आये, तो उसे चाहिये कि वह सलाम करे, फिर यदि चाहे तो बैठ जाये, और जब वह उठकर जाने लगे तो सलाम करे, क्योंकि पहला दूसरे से अधिक हक़दार नही हैं।)) (सहीह इब्ने हिब्बान 2/247 हदीस नं.: 494)

➢बैठक में कुशादगी पैदा करे, अल्लाह तआला के इस कथन के कारण कि :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [سورة المجادلة:١١]

((ऐ मुसलमानो ! जब तुम से कहा जाये कि बैठकों में थोड़ी कुशादगी पैदा करो, तो तुम जगह कुशादा कर दिया करो, अल्लाह तुम्हें कुशादगी देगा और जब कहा जाये कि उठ खड़े हो जाओ, तो तुम उठ खड़े हो जाओ, अल्लाह तआला तुम में से उन लोगों के जो ईमान लाये हैं और

जो ज्ञान दिये गये हैं पद बढ़ा देगा और अल्लाह तआला (हर उस काम से) जो तुम कर रहे हो (भली भांति) खबरदार है।)) (सूरतुल मुजादला :11)

➢किसी व्यक्ति को खड़ा करके उसकी जगह पर न बैठना, रसूल सल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ((कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसकी जगह से उठाकर के न बैठे, लेकिन तुम जगह कुशादा कर दो।)) (सहीह मुस्लिम 4/1724 हदीस नं.:2172)

➢जो अपनी जगह से उठकर चला जाये और फिर पुनः वापस आये तो वह उस का ज़्यादा हक़दार है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कथन के कारण कि ((जो अपनी जगह से उठ जाये फिर दोबारा वापिस आये तो वह उसका ज्यादा हक़दार है।)) (सहीह मुस्लिम 4/1715 हदीस नं.:2179)

➢बैठे हुये लोगों के बीच उन की आज्ञा के बिना जुदाई न की जाये, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कथन के कारण कि ((किसी व्यक्ति के लिये वैध नहीं है कि वह दो लोगों के बीच उन की आज्ञा के बिना जुदाई पैदा करे।)) (सुनन अबू दाऊद 4/262 हदीस नं.:4845)

➢तीसरे व्यक्ति को छोड़कर दो लोग आपस में सरगोशी (चुपके–चुपके बात) न करें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कथन के कारण कि ((जब तुम तीन लोग हो, तो तीसरे को छोड़ कर दो लोग सरगोशी न करो यहाँ तक कि लोगों में मिल जाओ ताकि उसे गम (चिन्ता) न हो।)) (सहीह बुखारी 5/2319 हदीस नं.: 5932)

➢मज्लिस या हल्क़ा के बीच में न बैठना, हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु की इस हदीस के कारण कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हल्क़ा के बीच में बैठने वाले पर फटकार की है।)) (सुनन अबू दाऊद 4/258 हदीस नं.: 4826)

➢मज्लिस फुज़ूल काम में व्यस्त, अल्लाह के ज़िक्र, और दीन दुनिया के मामलों में भलाई की चीज़ों के अध्ययन से खाली न हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : ''जो लोग भी किसी ऐसी मज्लिस से उठते हैं जिस में वो अल्लाह का ज़िक्र नहीं करते हैं, तो वो

गधे की लाश की तरह से उठते हैं, और यह उनके लिए हसरत और पछतावे का कारण होगा।'' (सुनन अबू दाऊद 4/264 हदीस नं.:4855)

➢मज्लिस वालों का नापसन्दीदा चीज़ के साथ स्वागत न करना, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उस पर पीलेपन का निशान था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किसी आदमी का सामना ऐसी चीज़ के द्वारा कम ही करते थे जो उसे नापसन्द हो, जब वह बाहर चला गया, तो आप ने कहा कि यदि तुम उसे अपने हाथों को धुलने का आदेश देते।)) (सुनन अबू दाऊद 4/81 हदीस नं.: 4182)

✿ बैठक के आचार :

➢इस्लाम किसी जगह में एकत्र होने वालों के सामान्य भावनाओं का ध्यान रखता है, और यह केवल इस लिए है कि बैठक एक ऐच्छिक और पसन्दीदा चीज़ बन जाए और उस से उपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके, इसी तरह हर उस चीज़ को दूर करता है जो बैठक को घृणित बनाने का कारण बनता है, चुनाँचि इस्लाम अपने मानने वालों को साफ सुथरा श्रीर रहने का आदेश देता है ताकि किसी प्रकार की बदबू से सभा वालों को तकलीफ ना हो, तथा उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनने का हुक्म देता है ताकि गन्दा मन्जर देख कर लोगों में नफरत न पैदा हो, इसी तरह बात करने वाले की ओर पूरा ध्यान देने और उसकी बात न काटने का आदेश देता है, और सभा के आखिर में बैठने और लोगों की गर्दनें न फलांगने और उन्हें धक्का न देने का आदेश देता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानो के एक जमावड़े जुमा की नमाज़ में बात करते हुए फरमाते हैं : ((जिस ने जुमा के दिन स्नान किया और मिस्वाक किया और खुश्बू मला यदि उसके पास मौजूद था और अपना सबसे अच्छा कपड़ा पहना, फिर मस्जिद आया और लोगों की गर्दनें नहीं फलाँगा, फिर अल्लाह ने जितनी तौफीक़ दी नमाज़ पढ़ी, फिर इमाम के आने से लेकर नमाज़ के खत्म होने तक चुप रहा तो यह उस

जुमा से लेकर पिछले जुमा तक के गुनाहें का कफ्फारा होता है।)) (सहीह इब्ने खुज़ैमा 3/130 हदीस नं.: 1762)

- जिसे क्षींक आये वह 'अल्हम्दु लिल्लाह' (हर प्रकार की प्रशंसा अल्लाह के लिए है) कहे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि कहते हैं कि ((जब तुम में से कोई क्षींके तो 'अल्हमदु लिल्लाह' कहे और उसका भाई या साथी उसके जवाब में यर्हमुकल्लाह (अल्लाह तुम पर दया करे) कहे, जब वह 'यरहमु–कल्लाह' कहे, तो वह 'यह्दीकुमुल्लाह व युसलिहो बालकुम' (अल्लाह तुम्हारा मार्ग दर्शन करे और तुम्हारी स्थिति सुधार दे) कहे।)) (सहीह बुखारी 5/2298 हदीस नं.:5870)

  उसके आदाब में से यह भी है जिसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत किया है कि आप ने फरमाया : ''जब तुम में से किसी को छींक आए तो अपनी हथेलियों को अपने चेहरे पर रख ले, और अपनी आवाज़ धीमी कर ले।'' (मुसतदरक हाकिम 4/293 हदीस नं.:7684)

- जिसे जम्हाई आये वह अपनी शक्ति भर उसे रोके, इसलिये कि जम्हाई सुस्ती की दलील है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कथन के कारण कि ((अल्लाह क्षींक को पसन्द करता है और जम्हाई को नापसन्द करता है। जब वह छींके और 'अल्हमदु लिल्लाह' कहे तो हर सुनने वाले पर उसका जवाब देना अनिवार्य है, लेकिन जम्हाई शैतान की ओर से है। अतः उसे अपनी ताक़त भर रोके, जब वह हा कहता है तो शैतान उस से हँसता है।)) (सहीह बुखारी 5/2297 हदीस नं.: 5869)

- सभा में डकार नहीं लेना चाहिए, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस कथन के कारण कि : ((रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी ने डकार लिया, तो आप ने उस से कहा कि : तुम हम से अपना डकार दूर रखो, इसलिये कि दुनिया में लोगों में जो अधिक आसूदा होगा वह क़ियामत के दिन उन में अधिक भूखा होगा)) (सुनन तिर्मिज़ी 4/649 हदीस नं.:2478)

✿ बात–चीत के आदाब (आचार) :

➢बात करने वाले की बात को पूर्ण ध्यान से सुनना और बीच ही में उसकी बात न काटना, हज्जतुल वदाअ् के अवसर पर रसूल सल्लल्लहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण कि ((लोगों की बात ध्यान पूर्वक सुनो।)) (सहीह बुखारी 1/56 हदीस नं.: 121)

➢स्पष्ट तरीक़े से बात करना ताकि मुखातब उस को समझ सके, आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, वह कहती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बात स्पष्ट और दो टूक होती थी, हर सुनने वाला उसे समझ जाता था।)) (सुनन अबू दाऊद 4/261 हदीस नं.: 4839)

➢हर बात करने वाले और मुखातिब का हँसमुख होना और हँसते हुए चेहरे के साथ मिलना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कथन के कारण कि ((किसी भलाई को हक़ीर न समझो, अगरचि तुम्हारा अपने भाई से हँस मुख होकर भेंट करना ही हो।)) सही मुस्लिम 4/2026 हदीस नं.:2626)

➢मुखातब से मीठी बोल बोलना, पैग़म्बर सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं : ''मनुष्य के हर जोड़ के बदले उस के ऊपर हर दिन सदक़ा करना अनिवार्य है, दो लोगों के बीच न्याय करना सद्क़ा है, आदमी की उसकी सवारी के बारे में मदद कर देना उसे उस पर सवार करा देना या उसका सामान रखवा देना सदक़ा है और भली बात कहना सदका है और नमाज़ के लिये उठने वाला हर क़दम सदक़ा है और रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ हटा देना सदक़ा है।)) (सहीह बुखारी 3/1090 हदीस नं.: 2827)

✿ बीमार पुर्सी के आदाब :

➢इस्लाम ने बीमार से भेंट करने के लिए जाने की रूचि दिलाई है और उसे एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हुक़ूक़ में शुमार किया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ((एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर पाँच हुकुक हैं; सलाम का जवाब देना, बीमार पुर्सी

करना, जनाज़ा के पीछे जाना, दावत क़बूल करना छींकने वाले का जवाब देना)) (सहीह बुखारी 1/418 हदीस नं.:1183)

➢मुसलमानों को बीमीर की जियारत करने के लिये रगबत दिलाते हुये उसके बदले को स्पष्ट कर दिया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ((जिसने किसी बीमार की इयादत की तो बराबर वह स्वर्ग के फल चुनता है। कहा गया कि : ऐ अल्लाह के रसूल! खुरफतुलजन्नह क्या है? तो आप ने कहा कि उसके फल तोड़ना।)) (सहीह मुस्लिम 4/1989 हदीस नं.:2568)

➢बीमार पुर्सी में मरीज़ के लिये प्यार व शफ्कत ज़ाहिर करना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ((सम्पूर्ण तीमार दारी यह है कि तुम में से कोई अपना हाथ उस के माथे पर या हाथ पर रखे और उस से उसका हाल मालूम करे।)) (सुनन तिर्मिज़ी 5/76 हदीस नं.: 2731)

➢मरीज़ के लिये दुआ करे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ((जिसने किसी मरीज़ की इयादत की जिस की मौत हाज़िर नहीं हुई है और उसके पास सात बार कहा कि : मैं महान अल्लाह बड़े अर्श वाले से सवाल करता हूँ कि तुम्हें शिफा दे, तो अल्लाह उसे उस बीमारी से शिफा दे देगा।)) (मुसतदरक हाकिम 1/493 हदीस नं.: 1269)

✿ मजाह (उपहास) के आदाब :

इस्लाम के अन्दर जीवन, जायज़ हँसी–मज़ाक और दिल्लगी से परे नहीं है जैसा कि कुछ लोगों का अनुमान है, हन्जला अल–उसेदी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु से मेरी मुलाकात हुयी, आप ने पूछा कि ऐ हन्ज़ला कैसे हो? हन्ज़ला कहते हैं कि मैं ने कहा कि मैं मुनाफिक़ हो गया। अबु बक्र ने तअज्जुब से पूछा कि तुम क्या कह रहे हो? हन्ज़ला ने कहा कि हम लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते हैं, आप हम से स्वर्ग और नर्क का जिक्र करते हैं यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि वह हमारी आँखो के सामने है, जब हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ

से निकल आते हैं तो हम लड़को–बच्चों और धन दोलत के झमेले में फँस जाते हैं और हम ज्यादा गाफिल हो जाते हैं। अबु बक्र ने कहा कि अल्लाह की क़सम इसी तरह हमारी भी स्थिति होती है। हन्ज़ला कहते हैं कि मैं और अबु बक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आये, मैं ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम! हन्जला मुनाफिक़ हो गया। रसूल सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यह क्या बात है? मैं ने कहा कि ऐ अल्लहा के रसूल! हम आप के पास होते हैं आप हम से स्वर्ग और नर्क का जिक्र करते हैं यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि हम उसे अपनी आँखो से देख रहे हैं, लेकिन जब हम आप के पास से निकलते हैं तो हम बीवी बच्चों और धन दौलत के चक्कर में फँस जाते हैं और हम ज्यादा गाफिल हो जाते हैं। तो रसूल सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि : क़सम है उस हस्ती की जिस के हाथ में मेरी जान है जिस स्थिति में तुम मेरे पास होते हो यदि उसी स्थिति में तुम बराबर रहो तो फरिष्ते तुम से तुम्हारे बिस्तरों पर और तुम्हारे रास्तों में मुसाफह करेंग, लेकिन ऐ हन्जला एक घंटा और एक घंटा, आप ने इसे तीन बार फरमाया।'' (सहीह मुस्लिम 4/2106 हदीस नं.: 2750)

रसूल सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में स्पष्ट कर दिया कि जायज़ हँसी मज़ाक और तफरीह मतलूब है, ताकि आदमी की रूह व जान चुस्त व फुर्त रहे। रसूल सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से हँसी मज़ाक के आदाब उस अवसर पर बतलाये जब उह्नोंने आप से प्रश्न किया कि आप हम से मज़ाक करते हैं, आप ने कहा : हाँ, लेकिन मैं सत्य बात ही कहता हूँ।)) (सुनन तिर्मिज़ी 4/357 हदीस नं.1990)

➢जिस प्रकार बात से हँसी मज़ाक होती है उसी प्रकार कृत्य से भी मजाक करते है, तथा आप सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कृत्य द्वारा मज़ाह किया करते थे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं : एक दीहाती आदमी जिस का नाम ज़ाहिर बिन हराम था पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उपहार (तोहफा) दिया करता था, जब वह वापस जाना चाहता तो पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि

व सल्लम उसके लिए कोई चीज़ तैयार करते थे। पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनके बारे में कहाः ''ज़ाहिर हमारे दीहाती और हम उनके शहरी (साथी) हैं।'' अनस कहते हैं, एक दिन वह अपना सामान बेच रहे थे कि पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आये और उनके पीछे से उन्हें पकड़ लिया और वह आप को देख नही पा रहे थे। चुनांचे उन्हों ने कहाः यह कौन है? मुझे छोड़ दे। आप ने अपना चेहरा उनकी ओर किया, जब वह पहचान गए कि यह पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं तो अपनी पीठ को आपके सीने से चिपकाने लगे। पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः ''यह गुलाम कौन खरीदे गा?'' ज़ाहिर ने कहाः ऐ अल्लाह के पैग़म्बर आप मुझे सस्ता पाएंगे। आप ने फरमायाः ''किन्तु तुम अल्लाह के निकट सस्ते नहीं हो'' या पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि ''तुम अल्लाह के पास बहुमूल्य हो।''। (सहीह इब्ने हिब्बान 13/106 हदीस नं.:5790)

➢ऐसी दिल्लगी और हँसी मजाक न की जाये जिस से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुँचे या उसे बुरा लगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण कि ((किसी मुसलमान के लिये हलाल नहीं है कि किसी मुसलमान को घबराहट में डाले)) (मुसनद अहमद 5/362 हदीस नं.:23114)

➢हँसी–मज़ाक उसे सच्चाई के दायरा से न निकाल दे कि वह लोगों को हँसाने के लिये झूठ बोले, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण कि ((बरबादी है उसके लिये जो बात करता है तो झूठ बोलता है ताकि लोगों को हँसाए, उसके लिए बरबादी है, उस के लिये बरबादी है)) (सुनन अबू दाऊद 4/297 हदीस नं.:4990)

✿ ता'ज़ियत (सान्त्वना) के आदाब :

मुर्दे के घर वालों की तसल्ली और उनके गम व मुसीबत को हल्का करने के लिये ता'ज़ियत मशरुअ् की गयी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि ((जो मोमिन अपने किसी भाई की मुसीबत में

ता'ज़ियत करता है, अल्लाह तआला क़ियामत के दिन उसे करामत का जोड़ा पहनाये गा।)) (सुनन इब्ने माजा 1/511 हदीस नं.:1601)

➢मुर्दा के घर वालों के लिये दुआ करना और उन्हें सब्र करने और सवाब की उम्मीद रखने पर उभारना, हम पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ बैठे थे कि आप के पास आप की किसी बेटी का क़ासिद आया कि वह आप को अपने बेटे को देखने के लिए बुला रही हैं जो जांकनी की हालत में है। पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस आदमी से कहाः

''वापस जाकर उन्हें बतला दो कि जो कुछ अल्लाह ने ले लिया वह निःसन्देह अल्लाह ही का है और जो कुछ उसने प्रदान किया है वह भी उसी का ही है, और हर चीज़ का उसके पास एक निश्चित समय है। इसलिए उनसे कहो कि वह सब्र करें और अल्लाह से अज्र व सवाब की आशा रखें।''

आप की बेटी ने क़ासिद को यह कह कर दुबारा भेजा कि उन्हों ने क़सम खा लिया है कि आप अवश्य उनके पास आयें। इस पर पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उठ खड़े हुए और सअद बिन उबादा और मुआज़ बिन जबल भी आप के साथ हो लिए। बच्चे को आप के सामने पेश किया गया, उसकी साँस ज़ोर–ज़ोर से चल रही थी गोया वह पुराने मशकीज़े में है। यह देख कर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आँखों से आँसू जारी होगए। सअद ने कहाः ऐ अल्लाह के पैग़म्बर! यह क्या है? आप ने फरमायाः ''यह वह दया और रहमत है जिसे अल्लाह तआला ने अपने बन्दों के दिलों में डाल दिया है, और अल्लाह तआला अपने बन्दों में से दया व मेहरबानी करने वालों पर दया करता है''। (सहीह मुस्लिम 2/635 हदीस नं.: 923)

➢मुर्दे की बख़्शिश के लिये दुआ की जाये, शाफेई रहिमहुल्लाहु इस दुआ को पढ़ना मुस्तहब समझते थे किः अल्लाह तुम्हारे सवाब को बढ़ाये और तुम्हें अच्छी तसल्ली दे और तुम्हारे मुर्दे को क्षमा कर दे।

➢मुर्दे के घर वालों के लिये खाना तैयार करना मुस्तहब है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण कि : ((आले

जा'फर के लिये खाना पकाओ, इस लिये कि उन्हें मसरुफ करने वाली चीज पेश आगई है।)) (मुसतदरक हाकिम 1/527 हदीस नं.:1377)

✿ सोने के आदाब :

➢अल्लाह का नाम ले कर दायें करवट लेटना और जिस जगह सोने जा रहा है, वहाँ ताकीद कर ले कि कोई तकलीफ दह चीज़ तो नहीं है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते है कि ((जब तुम में से कोई अपने बिस्तर पर सोने आये तो अपने तहबंद के किनारे से अपना बिस्तर झाड़ ले और अल्लाह का नाम ले, इस लिये कि वह नहीं जानता है कि उसने अपने बाद अपने बिस्तर पर क्या छोड़ा है? और जब सोये तो दायें करवट सोये और कहे कि ऐ मेरे रब! तेरी ज़ात पाक है, मैं ने तेरे नाम पर अपना पहलू रखा है और तेरे नाम पर उठाऊँगा, यदि तू मेरी जान ले ले तो तू उसे बख्श देना और यदि तू उसे छोड़ दे तो अपने नेक बन्दों की तरह उसकी हिफाज़त करना।)) (सहीह इब्ने हिब्बान 12/344 हदीस नं.: 5534)

➢जब सो कर उठे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित दुआ पढ़े, हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रात में जब अपने बिस्तर पर आते तो अपना हाथ गाल के नीचे रखते फिर कहते कि ऐ अल्लाह! मैं तेरे नाम से मरता और जीता हुँ, और जब सो कर उठते तो कहते कि तमाम प्रशंसा उस अल्लाह के लिये है जिसने हमें मारने के बाद जीवित किया और पुनः उसी की ओर लौटकर जाना है।)) (सहीह बुखारी 5/2327 हदीस नं. :5955)

➢ज़रुरत की हालत के सिवाय आदमी सवेरे सोने का प्रयास करे, इस लिये कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत है कि आप ((इशा की नमाज़ से पहले सोना और इशा के बाद बात चीत करना नापसन्द करते थे।)) (सहीह बुखारी 1/208 हदीस नं.: 543)

➢पेट के बल सोना मकरुह है, अबु हुरैरा से रिवायत है कि ((रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का गुज़र पेट के बल सोये हुये एक व्यक्ति के पास से हुवा, आप ने उसे पैर से कचोका लगाया और कहा

इस तरह सोने को अल्लाह पसन्द नही करता है।)) (सहीह इब्ने हिब्बान 12/357 हदीस नं.:5549)

➢एहतियात और सावधान अपनाते हुए खतरे की चीजों से बचना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण कि ((आग तुम्हारा दुश्मन है, जब तुम सोवो तो इसे बुझा दिया करो।)) (सहीह बुखारी 5/2319 हदीस नं.:5936)

✿ शौच (पेशाब पैखाना करने) के आदाब :

➢शौचालय में घुसने से पहले और निकलने के बाद बिस्समिल्लाह और दुआ पढ़ना, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब शौचालय में घुसते थे तो कहते कि ((बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ो बिका मिनल खुब्से वल खबाइसे।)) (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 6/114 हदीस नं.:29902)

और हजरत अनस ही से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब शौचालय से निकलते थे तो कहते थे कि अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अज़्हबा अन्निल अज़ा व आफानी।)) (सुनन इब्ने माजा 1/110 हदीस वं.:301)

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पत्नी आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, वह कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब शौचालय से बाहर निकलते तो 'गुफरानका' (मैं तेरी क्षमा चाहता हूँ) पढ़ते थे।'' (सहीह इब्ने खुज़ैमा 1/48 हदीस नं. :90)

➢पेशाब–पैखाना करते समय क़िबला की ओर मुँह करे न ही पीठ करे, अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि ((मैं तुम्हारे लिये बेटे के लिए बाप के समान हूँ, अतः तुम में से कोई किब़ला की ओर मुँह करके या पीठ करके पेशाब–पाखाना न करे और तीन पत्थर से कम से इस्तिन्जा न करे और गोबर और हड्डी उस में न इस्तेमाल करे।)) (सहीह इब्ने खुज़ैमा 1/43 हदीस नं.:80)

➢लोगों की निगाहों से छुप जाये, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि ((जो शौच को जाये वह पर्दा करे।)) (सुनन इब्ने माजा 1/121 हदीस नं.:337)

➢गन्दी चीज़ों में दायाँ हाथ न इस्तेमाल करे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि ((जब तुम में कोई पिये तो बर्तन में साँस न ले, जब कोई शौचालय को आये तो अपने लिंग को दाहिने हाथ से न छुये और जब गन्दगी साफ करे तो दाहिने हाथ से न करे।)) (सहीह इब्ने खुज़ैमा 1/43 हदीस नं.: 78)

➢शौच के बाद अगली पिछली दोनों शरमगाह को पहले ढेले और फिर पानी से साफ करे, और यही सर्वश्रेष्ठ है, या नहीं तो दोनों में से किसी एक से साफ करे, लेकिन पानी से सफाई करना बेहतर है, इस लिये कि इस से अधिक सफाई होती है।

✿ वैवाहिक रहन–सहन के आदाबः

➢अल्लाह का ज़िक्र करना यानी इस प्रकार अल्लाह का नाम लेना जिसका तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने इस कथन से बयान किया है : ((अगर तुम में से कोई जब अपनी बीवी के पास आये और इस तरह कहे कि 'अल्लाह के नाम से, ऐ अल्लाह! हमें शैतान से बचा और जो कुछ तू हमें दे शैतान को उस से दूर रख' तो यदि उनके बीच बच्चे का फैसला किया गाया तो उसे शैतान नुक़सान नहीं पहुँचा सकेगा।)) (सहीह बुखारी 1/65 हदीस नं.: 141)

➢आपस में खेल–कूद और हँसी–मज़ाक करना, जैसाकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जाबिर से कहा : ((ऐ जाबिर क्या तुम ने शादी कर ली है? मैं ने कहा : हाँ, आप ने कहा कि विवाहिता से या कुँवारी से? मैं ने कहा कि : विवाहिता से, आप ने कहा कि : कुँवारी से क्यो नहीं किया कि तुम उस से खेलते वह तुम से खेलती, तुम उसे हँसाते वह तुम्हें हँसाती।)) (सहीह बुखारी 5/2053 हदीस नं.:5052)

➢अपनी पत्नी का चुंबन करके, जुबान चूस कर प्यार व महब्बत करना, आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम रोज़े की हालत मे उन्हें चुंबन करते थे और उनकी ज़ुबान चूसते थे।)) (सहीह इब्ने खुज़ैमा 3/246 हदीस नं.:2003)

➢पति और पत्नी जिस प्रकार चाहें एक दूसरे से लाभान्वित हों, लेकिन इस शर्त के साथ जिसे आप ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान किया है जब वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आये और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मैं तो तबाह हो गया। आप ने कहा कि तुम्हें किसने तबाह कर दिया? कहा कि आज रात मैं ने कजावे को बदल दिया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनका कोई उत्तर नहीं दिया। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर यह आयत उतरी :

﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:٢٢٣]

((तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, अतः अपनी खेतियों में जहाँ से चाहो आओ।)) (सूरतुल बक़रा :223) आगे से आओ और पीछे से आओ, पिछली शरमगाह और माहवारी से बचो।)) (सुनन तिर्मिज़ी 5/216 हदीस नं.:2980)

➢पति और पत्नी के बीच जो विशिष्ट संबंध होते हैं उनकी सुरक्षा करना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण कि ((क़ियामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा वह व्यक्ति होगा जो अपनी पत्नी से सम्भोग करता है और उसकी पत्नी उसके साथ सम्भोग करती है, फिर वह उस के भेद को फैला देता है।)) (सहीह मुस्लिम 6/1060 हदीस नं.: 1437)

✤ यात्रा के आदाब :

➢दूसरों के हड़प किए हुये हुक़ूक़ और अमानतों को वापिस करना और क़र्ज़ का भुगतान करना और घर वालों के खर्च को सुनिश्चित करना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि "जिस ने अपने किसी भाई का हक़ हड़प लिया हो तो उसे हलाल कर ले इसलिये कि वहाँ दिर्हम व दीनार न होगा, इस से पहले कि वह समय आये कि उसकी नेकियाँ उसके भाई को दे दी जायेंगी, अगर नेकियाँ न होंगी तो उसके

भाई की बुराईयाँ उस पर लाद दी जायेंगी।)) (सहीह बुखारी 5/2394 हदीस नं.:6169)

➢अकेला सफर करना नापसन्दीदा है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस से रोका है, सिवाय इस के कि मजबूर हो जाये और किसी का साथ न पाये, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सफर से लौटने वाले एक व्यक्ति से पूछा कि : तुम्हारे साथ कौन था? उसने उत्तर दिया : मेरे साथ कोई नहीं था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि : अकेला मुसाफिर शैतान है और दो मुसाफिर दो शैतान हैं, और तीन मुसाफिर एक क़ाफिला हैं।)) (मुसतदरक हाकिम 2/112 हदीस नं.: 2495)

➢अच्छे साथियों का चयन करना और अपना एक अमीर (अगुवा) नियुक्त कर लेना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण कि ''जब तीन लोग किसी सफर पर निकलें, तो उन में से किसी एक को अपना अगुवा बना लें।'' (सुनन अबू दाऊद 3/36 हदीस नं.: 2608)

➢सफर से घर वापस आने के समय की बीवी को सूचना दे दे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ऐसा ही करते थे, और रात के समय घर न आ धमके, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है कि : ((जब तुम में से कोई काफी दिन तक अपने परिवार से दूर रहे तो वह रात के समय उनके पास न आ धमके।)) (सहीह बुखारी 5/2008 हदीस नं.:4946)

➢अपने अहल और दोस्त व अहबाब को अलविदाअ कहे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण कि ((जब तुम में से कोई सफर करे तो अपने भाईयों को सलाम करे, इसलिये कि वह लोग भी उसके साथ भलाई की दुआ करेंगे।)) (मुसनद अबू या'ला 12/42 हदीस नं.: 6686)

➢ज़रूरत पूरी होजाने पर घर जल्दी लोटे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण कि ((सफर अज़ाब का एक टुकड़ा है, आदमी को खाने, पीने और सोने से रोक देता है, जब तुम में से कोई

अपनी जरुरत पूरी कर ले तो अपने घर वालों के पास जल्दी से लौट आए।)) (सहीह बुखारी 2/639 हदीस नं.:1710)

✿ रास्ता के आदाब :

➢रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रास्ता के आदाब को स्पष्ट करते हुए फरमाया : ''रास्तों में बैठने से परहेज़ करो।'' सहाबा–ए–किराम ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! रास्ते में बैठना हमारे लिये अनिवार्य है उसमें हम बैठकर बातें करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि ''जब तुम बैठने पर इसरार कर रहे हो तो रास्ते का हक़ अदा करो।'' लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! रास्ते का हक़ क्या है? आप ने कहा कि ''निगाह नीची रखना, लोगों को तकलीफ न पहुँचाना, सलाम का जवाब देना, भलाई का आदेश करना और बुराई से रोकना।)) (सहीह बुखारी 2/870 हदीस नं. : 2333)

और एक दूसरी हदीस में है कि ''तुम मुहताज की सहायता करो और भटके हुये को राह दिखाओ।'' (सुनन अबू दाऊद 4/256 हदीस नं. :4817)

➢रास्ते की सफाई का ख्याल रखे और सार्वजनिक लाभ वाली चीजों को नुक़सान न पहुँचाये, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते है कि ((दो ला'नत करने वाली चीजों से बचो, लोगों ने कहा कि वह दोनों क्या हैं? आप ने कहा कि जो व्यक्ति लोगों के रास्ते में या उनके साया हासिल करने की जगह में पाखाना कर देता है।)) (सहीह मुस्लिम 1/226 हदीस नं.:267)

➢अपने साथ कोई ऐसी चीज़ लेकर न चले जिस से दूसरे को तकलीफ पहुँचे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण कि ((जब तुम में से कोई हमारी मस्जिदों या बाज़ारों से तीर लेकर गुज़रे तो उसके पैकान को पकड़ले, या आप ने कहा कि उसे अपनी हथेली से पकड़ ले, कहीं ऐसा न हो कि उस से किसी मुसलमान को कुछ तकलीफ पहुँच जाये।)) (सहीह बुखारी 6/2592 हदीस नं.:6664)

✿ ख़रीदने बेचने (क्रय–विक्रय) के शिष्टाचार :

➢ख़रीदारी के अन्दर असल चीज़ हलाल होना है, इसलिये कि इस में बेचने और ख़रीदने वाले के बीच नफा का तबादला होता है लेकिन किसी एक पक्ष या दोनों का घाटा हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में हलाल से हराम हो जाता है, अल्लाह तआला के इस कथन के कारण :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء:٢٩]

((ऐ मोमिनो! तुम अपने माल आपस में नाहक़ तरीक़े से न खाओ।)) (सूरतुन्निसा :29)

व्यपार को इस्लाम ने अफजल और बेहतर कमाई बतलाया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रश्न किया गया कि सबसे अफजल और बेहतर कमाई कौन सी है? आप ने कहा कि ''आदमी का अपने हाथ से काम करना और हर मबरुर (मक़बूल) व्यापार।'' (मुसतदरक हाकिम 2/12 हदीस नं.:2158)

इस्लाम ने व्यापार के अन्दर अमानत पर उभारा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि ((सच्चा अमानतदार मुसलमान व्यापारी क़ियामत के दिन शहीदों के साथ होगा।)) (मुस्तद्रक हाकिम 2/7 हदीस नं.:2142)

➢सामान के अन्दर यदि कोई छुपी हुई ऐब मौजूद है तो उसे स्पष्ट करदेना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि ((किसी चीज़ के बेचने वाले के लिये उसके ऐब को छुपाना हलाल नहीं है और उस ऐब के जानने वाले के लिये भी छुपाना जायज़ नहीं है।)) (मुसनद अहमद 3/491 हदीस नं.:16056)

➢सामान के अन्दर धोखा–धड़ी न करना और ख़रीदार से सामान के ऐब न छुपाना, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक अनाज के ढेर से गुजरे, आप ने उसके अन्दर अपना हाथ धुसाया आप ने तरी महसूस की, आप ने अनाज वाले से कहा कि यह क्या माजरा है? उसने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! इस पर बारिश होगई थी, आप ने कहा कि तुम ने

उसे ऊपर क्यों नहीं कर दिया? ताकि लोग उसे देखते, जिसने धोखा और फराड किया वह हम में से नहीं।)) (सहीह मुस्लिम 1/99 हदीस नं.:102)

- सत्य बोलना और झूट से परहेज़ करना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि ((खरीदने व बेचने वालों को इख्तियार है जब तक वह अलग न हो जायें, यदि वह दोनों सत्य बोलते हैं और सामान के बारे में पूरी बात स्पष्ट कर देते हैं तो उन के खरीद व फरोख्त में बर्कत होती है और यदि वह ऐब छुपाते हैं और झूठ बोलते हैं तो उन दोनों के खरीद व फरोख्त की बर्कतें खत्म हो जाती हैं।)) (सहीह बुखारी 2/732 हदीस नं.1973)
- खरीद व फरोख्त में नरमी का बरताव करना, इसलिये कि यह बेचने और खरीदने वाले के बीच ता'ल्लुकात के मजबूत होने का एक साधन है और भौतिक लाभ जो भाई चारे की राह का रोड़ा है उस का तोड़ है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि ''अल्लाह उस व्यक्ति पर दया करे जो बेचने, खरीदने और कर्ज के मुतालबे में नर्मी अपनाता है।)) (सहीह बुखारी 2/730 हदीस नं.:1970)
- कोई सामान बेचते समय क़सम न खाना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के कारण कि ((बेचने में अधिक क़सम खाने से बचो, इस लिये कि यह व्यापार को बढ़ावा देता है लेकिन बरकत को मिटा देता है।)) (सहीह मुस्लिम 3/1228 हदीस नं.:1607)

यह चन्द इस्लामी आदाब (शिष्टाचार) हैं, इनके अतिरिक्त अन्य दूसरे आदाब भी हैं यदि हम उन्हें बयान करें तो बात लम्बी हो जायेगी। हमारे लिये इतना जान लेना काफी है कि मानव जीवन की व्यक्तिगत और सार्वजनिक मामलों से संबंधित कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसके बारे में कुर्आन या हदीस की कोई रहनुमाई (निर्देश) मौजूद न हो, जो उस को निर्धारित और व्यवस्थित करती है। यह सब केवल इस लिए है ताकि मुसलमान का समूचित जीवन अल्लाह की इबादत का प्रतीक हो जिस में वह नेकियों से लाभान्वित हो सके।